



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 02.04.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा 16वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित कुल 06 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में 1 से 4 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वादी श्री अमित कुमार पुत्र स्व० खेम सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा हीरा थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण महक सिंह उर्फ बड़े जाट आदि 06 नामजद व 03 अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली गलौच की गयी तथा जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। इस संबंध में दिनांक 23.06.2019 को थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 192/19 धारा 147/504/323/506 भादवि व 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल, अभियोजन द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.04.2025 को मा० न्यायालय स्पे० न्यायाधीश/एससी/एसटी एक्ट बिजनौर द्वारा 1- हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तरुण उर्फ छोटे पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2- महक सिंह 3- परवेन्द्र 4- टिंकू पुत्रगण रणधीर सिंह मवासी निवासीगण ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर 5- योगेश उर्फ चीनू पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम अगरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर 6- ललित पुत्र फकीरचन्द निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को धारा 143,504,323/147 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट में योगेश, महक सिंह, तरुण, प्रवेन्द्र, टिंकू को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1- तरुण उर्फ छोटे पुत्र जोगेन्द्र सिंह नि० ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा बिजनौर। (हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त हीमपुरदीपा)
- 2- महक सिंह पुत्र रणधीर सिंह मवासी निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3- परवेन्द्र पुत्र रणधीर सिंह मवासी निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 4- टिंकू पुत्र रणधीर सिंह मवासी निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 5- योगेश उर्फ चीनू पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम अगरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 6- ललित पुत्र फकीरचन्द निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 02.04.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना शिवाला कलां पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मारपीट के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वादी श्री अनवार अहमद पुत्र निन्हा शाह निवासी ग्राम फजलाबाद उर्फ मनियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण साजिद पुत्र निन्हा शाह निवासी ग्राम फजलाबाद उर्फ मनियावाला आदि 05 नामजद अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी के साथ जमीन निर्माण को लेकर गाली गलौच करते हुये मारपीट की गयी । इस संबंध में थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 43सी/2006 धारा 323/324/307/504/506/147 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.04.2025 को मा0 न्यायालय एसपीएल/ईसी एक्ट बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 43सी/2006 धारा 323/324 में अभियुक्तगण 1- साजिद पुत्र निन्हा शाह 2- जुनैद पुत्र साजिद निवासीगण फजलाबाद उर्फ मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 504/506/307 भादवि के आरोपो में दोषमुक्त किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1- साजिद पुत्र निन्हा सिंह निवासी ग्राम फजलाबाद उर्फ मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2- जुनैद पुत्र साजिद निवासी ग्राम फजलाबाद उर्फ मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक- 02.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-174/2025 धारा 229 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि0 से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.04.2025 को वादी निपेन्द्र पुत्र विजयपाल सिंह निवासी दयाविहार कॉलोनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 31.03.2025 को रुपये के लेन-देन को लेकर दो अज्ञात युवको द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर घायल कर दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0-174/2025 धारा 126(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वादी निपेन्द्र से की गयी पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि वादी निपेन्द्र ने गांव के ही विपिन कुमार पुत्र बलवीर सिंह से कुछ रुपये उधार ले रखे थे, जिसके लिये विपिन उपरोक्त वादी निपेन्द्र से बार-बार रुपये वापस करने का तगाजा कर रहा था । वादी ने योजनाबद्ध तरीके से विपिन उपरोक्त को झूठे मुकदमे में फंसाकर रुपये वापिस न करने के उद्देश्य से स्वयं ही अपनी दाहिनी बाजू में तमन्चे से गोली मार ली तथा तमन्चे को उसने कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में फेंक दिया था ।

कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र विजयपाल सिंह निवासी दयाविहार कॉलोनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमन्चा (12 बोर) व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 229 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि0 की वृद्धि की गयी तथा धारा 109(1)/126(2) बीएनएस की घटोतरी की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निपेन्द्र पुत्र विजयपाल सिंह निवासी दया विहार कॉलोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा (12 बोर) व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 जुगेन्द्र सिंह तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 865 धन सिंह मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 02.04.2025

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 594/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को चोरी किए गए मोबाइल सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.12.2024 को वादी मौ0 फहीम पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से उसका मोबाइल फोन (रिअलमी कम्पनी) चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 594/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में रिजवान पुत्र ताहिर हुसैन नि0 मौ0 शहीदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही:-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र ताहिर हुसैन नि0 मौ0 शहीदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी किए गए मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया । बरामगदी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रिजवान पुत्र ताहिर हुसैन नि0 मौ0 शहीदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

चोरी किया गया मोबाइल । (रिअलमी कम्पनी)

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 70/24 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 594/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 असकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक- 02.04.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.03.2025 को वादी अंकित कुमार पुत्र मुन्ने सिंह निवासी ग्राम पण्डिया थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान से टायर जैक, वैल्विंग मशीन, इन्वर्टर व बैटरा चोरी कर लिये हैं । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0स0 78/25 धारा 305(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 21.03.2025 को वादी मौ0 इसरार पुत्र रहमतुल्ला निवासी मौहल्ला बंजारान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान के गल्ले से 30000 रु0 चोरी कर लिये हैं । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0स0 103/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण इकबाल पुत्र मकबुल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व सरफराज पुत्र शहजाद निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए ।

कार्यवाही:-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण इकबाल पुत्र मकबुल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व सरफराज पुत्र शहजाद निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पुछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पुछताछ के दौरान बताया कि ग्राम ताजपुर में स्योहारा रोड पर एक पेंचर की दुकान में छत के रास्ते घुसकर टायर जैक, वैल्विंग मशीन, इन्वर्टर-बैटरा आदि सामान चुराया था । उस सामान को इन्होंने एक राह चलते व्यक्ति को बेच दिया, जिसमें से कुछ रुपये खर्च हो गये थे व शेष 20000/- रुपये इन्होंने आपस में बांट लिये थे और इन्होंने कस्बा नूरपुर में भारत बैंकट हॉल के पास तेल स्पेलर

की दुकान के गल्ले से 30000/- रुपये चुराये थे, जिनमें से खर्च करने के बाद 10000/- रुपये शेष बचे थे, जिनको इन्होंने आपस में बांट लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. इकबाल पुत्र मकबुल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. सरफराज पुत्र शहजाद निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

1. मु0अ0स0 78/25 से सम्बन्धित दस-दस हजार रुपये
2. मु0अ0स0 103/25 से सम्बन्धित पाँच-पाँच हजार रुपये

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल उपरोक्त –

- 1- मु0अ0स0 613/04 धारा 398/401 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 615/04 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 493/06 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 802/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 147/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 148/08 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0- 26/11 धारा 457/380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0-198/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 442/12 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0स0 452/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0स0 680/13 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0स0 431/17 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0स0 69/20 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0स0 244/20 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0स0 55/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 16.. मु0अ0स0 93/24 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
17. मु0अ0स0 680/13 धारा 379/411 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज उपरोक्त –

1. मु0अ0स0 50/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 126/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 132/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 616/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 625/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 626/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 627/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 485 आस मौहम्मद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. का0 1956 आर्यन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. का0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. का0 11 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. का0 2542 योगेश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर